नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)

51वीं छमाही बैठक (ऑनलाइन) : (दिनांक : 04 नवंबर 2020)
आगत छःमाही में किए जाने वाले कार्यों की सूची

1. राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना|
2. संस्थानों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया जाना|
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजातों को द्विभाषी में ही जारी किया जाना|
4. संस्थानों में प्रत्येक तिमाही में 01 नराकास स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना|
5. समिति संस्थानों द्वारा वार्षिक अंशदान राशि का वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक आवश्यक रूप से भुगतान किया जाना|
6. राजभाषा विभाग के निदेशानुसार छमाही बैठकों में संस्थान प्रमुखों की उपस्थिति अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अनिवार्य किया जाना|
7. हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह का अपने संस्थान में हुए आयोजनों का प्रतिवेदन (फोटोग्राफ संलग्न कर) उपलब्ध कराया जाना; ताकि नराकास,भिलाई-दुर्ग की गृह पत्रिका 'महानदी' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा सके|
8. वर्तमान महामारी के दौर में अपने कार्यक्षेत्र एवं समाज में बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किये गये अभिनव प्रयासों की जानकारी साझा किया जाना|
9. आगामी माह में नराकास के सभी सदस्य संस्थानों में राजभाषा अनुपालन संबंधी कार्यों का ई-मूल्यांकन किया जाना| ई-मूल्यांकन हेतु संस्थानों से सदस्यों का चुनाव कर नराकास मूल्यांकन उप समिति का गठन किया जाना|
10. नराकास संस्थानों एवं संयंत्र का संयुक्त रूप से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना|
11. नराकास, भिलाई-दुर्ग द्वारा नगर में लगाए गए राजभाषा होर्डिंग्स का नवीनीकरण किया जाना|

4/11/2020

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)

50वीं छमाही बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन

दिनांक 17 जनवरी, 2020 को समिति की 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई,जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

(1) विगत छमाही में नराकास सचिव द्वारा कार्यसूची में 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक की स्मृति को संजोने हेतु सभी संस्थानों को अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात प्रतीक चिन्ह भेंट करने का निर्णय लिया गया था, जिसका अनुपालन किया गया।

(2) भारत सरकार,राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों को नराकास सचिवालय द्वारा सभी संस्थानों को ई-मेल एवं डाक द्वारा सूचना अनुपालन हेतु भेजी गई।

(3) सभा में उपस्थित सभी संस्थान प्रमुखों को स्मरण कराया गया कि अपने कार्यालयों में सभी बोर्ड, नामपट्ट एवं रबर मोहर को द्विभाषी में ही अनिवार्य रूप से तैयार करवा लें, जिसका अनुपालन किया गया है।

(4) प्रत्येक तिमाही में सभी संस्थान प्रमुख अपने-अपने संस्थान में कार्यशाला आयोजित कराने के लिए बताया गया।

(5) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का सभी संस्थानों में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। सभी कागजात द्विभाषी में जारी किए गए।

(6) समिति संस्थानों द्वारा नराकास स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस छमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षैत्रीय कार्यालय, सेक्टर-10, भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजन किया गया ।

(7) विगत छमाही में संस्थानों द्वारा जाँच बिंदु बनाए गए हैं।

(8) समिति के सभी संस्थानों को वार्षिक अंशदान के रूप में बढ़ाई गई राशि की सूचना वर्तमान वित्त वर्ष के प्रारंभ में (अप्रैल माह में) भेजी गई है।

(9) संस्थानों में पिछली बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से सूचना भेजी गई। मात्र 14 संस्थानों ने वार्षिक अंशदान के रूप में ₹6000/- (₹ छः हजार मात्र) नराकास सचिवालय को प्रेषित किए है।

(10) समिति के सभी संस्थानों को वार्षिक अंशदान राशि जमा करने हेतु उपलब्ध बैंक ऑफ बड़ोदा के बचत खाता क्रमांक के परिवर्तन की सूचना ई-मेल द्वारा भेजी गई।

(11) समिति की छमाही बैठकों में संस्थान प्रमुख शिरकत करते हैं। अपरिहार्य परिस्थिति में उपस्थित नहीं होने की लिखित सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाती है।

ooo

4/11/2020